कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 1415009 दि0 25-04-2014

पत्र सं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु01-/स0प0/ फार्म-सी सत्यापन / 13-14/ 119 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वि0अनु0शा0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 25/04/2014

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर, उ0प्र0
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/ वि0अनु0शा0/ कार्पोरेट सेल) वाणिज्य कर, उ0प्र0
समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी, उ0प्र0 ।

विषय :- अन्तर्प्रान्तीय सम्व्यवहारों के सम्बन्ध में दाखिल फार्म-सी के सत्यापन के सम्बन्ध में ।

मुख्यालय के पत्र संख्या- डि0कमि0(वि0अनु0शा0)मु-स0प0/ 1350 / 10-11/ दिनांक 11-08-2001 एवं परिपत्र सं0-01-02/ 575/ दिनांक 13-05-2002 से फार्म-सी के सत्यापन के सम्बन्ध में करनिर्धारण अधिकारियों के स्तर से प्रान्त बाहर के व्यापारियों को जवाबी पोस्टकार्ड भेजने की व्यवस्था लागू की गयी थी । फार्म- सी के सत्यापन के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा पर यह पाया गया कि सत्यापन की उक्त व्यवस्था को परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है ।

अतः सम्यक विचारोपरान्त फार्म-सी के सत्यापन हेतु तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया जाता है कि रु0 1,00,000-00 या उससे अधिक धनराशि के फार्म-सी के सत्यापन का कार्य एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,वि0अनु0शा0 वाणिज्य कर के माध्यम से कराया जाय । उक्त अवधारित व्यवस्था में यदि करनिर्धारण स्तर पर दाखिल फार्म-सी प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाया जाता है, ऐसे मामलों में रु0 01 लाख की सीमा लागू नही होगी । इस सन्दर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर अपने जोन के सम्मुख उल्लिखित प्रान्तों के कमिश्नर वाणिज्य कर को अपने स्तर से पत्र प्रेषित करते हुए फार्म-सी के सत्यापन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें ।

क्र0 सं0-	एडी0कमि0ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर	आवंटित प्रान्त एवं केन्द्र शासित प्रदेश
1	आगरा	आंध्र प्रदेश
2	अलीगढ़	राजस्थान
3	इलाहाबाद	उड़ीसा
4	बरेली	उत्तराखण्ड
5	नोएडा	पंजाब, चण्डीगढ़
6	गोखरपुर	असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड व मेघालय
7	गाजियाबाद- प्रथम	दिल्ली व हरियाणा
8	गाजियाबाद-द्वितीय	जम्मू कश्मीर
9	झाँसी	गुजरात,दादर एवं नागर हवेली व दमनदीव
10	लखनऊ-प्रथम	महाराष्ट्र
11	लखनऊ-द्वितीय	गोवा
12	मेरठ	केरल व लक्ष्यदीप
13	मुरादाबाद	कर्नाटक
14	सहारनपुर	हिमांचल प्रदेश
15	वाराणसी-प्रथम	बिहार व झारखण्ड
16	वाराणसी-द्वितीय	परिचम बंगाल एवं अण्डमान निकोबार दीप समूह
17	कानपुर-प्रथम	मध्य प्रदेश
18	कानपुर-द्वितीय	छत्तीसगढ़
19	इटावा	तमिलनाडु व पाण्डुचेरी
20	फैजाबाद	त्रिपुरा, अरुणांचल प्रदेश व सिक्किम

mu

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) एवं वाणिज्य कर अधिकारी एक तिमाही में निस्तारित करनिर्धारण वादों में दाखिल किये गये रु0 1,00,000=00 या उससे अधिक के फार्म-सी के सत्यापन के समस्त विवरण संलग्न प्रारुप में सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से एवं समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट सेल) सीधे संबंधित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर को समाप्त हुयी तिमाही की अगली तिमाही के अन्त तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगें । यह विवरण विभिन्न प्रान्तों के लिएं अलग-अलग तैयार कर प्रेषित किया जायेगा और इनके आधार पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा सत्यापन के सम्बन्ध में अपने स्तर से अगले माह में कार्यवाही की जायेगी । जिन मामलों में विपरीत सूचना प्राप्त होती है, उसका विवरण सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी / ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सेल) को उपलब्ध कराने के साथ साथ संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर को भी उपलब्ध कराया जायेगा । सत्यापन संबंधी कार्यवाही का विवरण त्रैमासिक रुप से ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट सेल) व ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायं ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन एवं पत्र संख्या- व दिनांक :उक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- मा0 अध्यक्ष वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
5- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।
6- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / 2 (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ ।
7- समस्त अनुभाग प्रभारी ,वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।
8- वि0अनु0शा0 अनुभाग को 15 प्रतियॉ तथा मैनुअल अनुभाग को दो प्रतियॉ अतिरिक्त ।

25/4/2014
(अरविन्द कुमार)
ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।

फार्म-सी सत्यापन का प्रारुप

क्रम सं0	व्यापारी का नाम व पता एवं टिन नं0	जिस व्यापारी से फार्म-सी प्राप्त हुआ है उसका पूरा नाम व पता एवं टिन नं0	वस्तु का नाम	चालान/ इनवाईस संख्या व दिनांक	वस्तु का मूल्य	फार्म-सी का नम्बर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रान्त के व्यापारियों द्वारा प्रपत्र ''सी'' के माध्यम से अन्य प्रान्तों के व्यापारियों को की गई अर्न्तप्रान्तीय बिकी की सूचनाओ के सत्यापन कार्य का त्रैमासिक विवरण

त्रैमास-------------------

त्रैमास के प्रारम्भ में सत्यापन हेतु अवशेष मामलें		सत्यापन हेतु क0नि0 अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण								विपरीत निष्कर्ष निकाले गये मामलों का विवरण (संक्षिप्त विवरण अलग से दिया जाये)		त्रैमास के अन्त में सत्यापन हेतु अवशेष मामलें	
		त्रैमास में सत्यापन हेतु प्राप्त मामलें		त्रैमास तक सत्यापन हेतु प्राप्त मामलें		सूचनाऐं जिनका परिणाम प्राप्त हुआ							
						त्रैमास में		त्रैमास तक					
व्यापारियों की सं0	धनराशि (लाख रू0 में)	व्यापारियों की सं0	धनराशि (लाख रू0 में)	व्यापारियों की सं0	धनराशि (लाख रू0 में)	व्यापारियों की सं0	धनराशि	व्यापारियों की सं0	धनराशि	व्यापारियों की संख्या	धनराशि	व्यापारियों की सं0(3अ-5अ)	धनराशि (3ब-5ब)
1 अ	1 ब	2 अ	2 ब	3 अ	3 ब	4 अ	4 ब	5 अ	5 ब	6 अ	6 ब	7 अ	7 ब

(अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम)